Spares for defence Equipment from USSR

2333. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are finding it difficult to procure spare parts for different Defence equipments imported from USSR earlier; and

(b) if so, the details thereof and how Government plan to overcome such difficulties?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Consequent upon the break-up of the erstwhile Soviet Union, there was a degree of dislocation in our defence transactions. In order to overcome the difficulty, Government of India have signed a memorandum of Understanding with Russia on guaranteed supply of Defence equipment, spare parts, product support and comprehensive services needed for maintenance, repairs, overhaul and modernisation. Government have also been pursuing a policy of establishing contacts with other successor States of the former USSR for promotion of defence cooperation.

Simultaneously, Government are also pursuing measures to sustain defence imports from other sources and to strengthen indigenous production facilities.

देश में सी॰एस॰डी॰ कैन्टीन

2334. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सैनिकों के लिए सी॰एस॰डी॰ कैन्टीन की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उनकी संख्या में कितनी वृद्धि की गई;

(ग) क्या बीहड़ आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) कैंटीन स्टोर विभाग कोई कैंटीन नहीं चलाता है क्योंकि ये कैंटीनें रक्षा सेवाओं/अर्ध सैन्य बलों और अन्य हकदार स्थापनाओं के नियंत्रणाधीन हैं। 1998 तक संपूर्ण भारत में यूनिट चालित कैंटीनों की कुल संख्या 3492 थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) पिछले पांच वर्षों में 136 यूनिट चालित कैंटीनों की वृद्धि हुई है। तथापि, इस आंकड़े में अर्ध सैन्य बलों की यूनिटों को रक्षा सेवाओं के संक्रियात्मक नियंत्रण में रखने/हटाने के आधार पर फेरबदल हो सकता है।

(ग) जी, हां। दूरदराज के क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की कैंटीन संबंधी जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था है।

(घ) भूतपूर्व सैनिक, कमोवेश, यूनिटों/विरचनाओं, द्वारा चलाई गई निकटस्थ यूनिट चालित कैंटीनों से कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हकदार है। जहां कहीं सक्रिया यूनिटें नहीं है वहां भूतपूर्व सैनिकों की जरूरतें पूरी करने के लिए एक्सटेंशन काउंटर और चल कैंटीनें है। जहां कहीं भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 10,000 से अधिक होती है, वहां यूनिट चालित कैंटीन का सामान्यत: एक्सटेंशन काउंटर स्थापित कर दिया जाता है और जहां यह संख्या कम होती है वहां चल कैंटीन/एक्सटेंशन काउंटरों, विरचना मुख्यालय द्वारा जैसा उपर्युक्त समझा जाए, से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम कमान द्वारा चलाई गई गोल्डन लॉयन कैंटीनें और मध्य कमान द्वारा चलाई गई गोल्डन पिवां कैंटीनें भूतपूर्व सैनिकों की जरूरतें पूरी करती हैं।

विवरण

यूनिट चालित कैंटीनों का राज्य-वार ब्यौरा 1994—1998

क्रम सं॰	कैंटीन स्टोर विभाग डिपो का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम जहां इनकी व्यवस्था है	यूनिट चालित कैंटीनों की संख्या				
			1994	1995	1996	1997	1998
1.	सिकन्दराबाद विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	135	129	137	140	143
2.	पोर्टब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20	19	18	18	18